संलग्नक-XIII
(देखें पैरा 98.3)

सर्व शिक्षा अभियान

.....राज्य के.....वर्ष के एसएसए के लेखाओं की आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के निमित्त विचारार्थ विषय (वित्तीय लेखापरीक्षा)

पृष्ठभूमि

.....एक पंजीकृत सोसायटी है जोकि.....राज्य के सभी जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) नामक केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच निधियों की साझेदारी.....के अनुपात में है।

उद्देश्य

आन्तरिक लेखापरीक्षा एक ऐसा नियंत्रण है जोकि समूचे संगठन के भीतर अन्य नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा प्रभाविता की जांच और मूल्यांकन के माध्यम से काम करती है। चालू आन्तरिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह है कि एसएसए कार्यक्रम की बाबत एक व्यावसायिक मत प्राप्त किया जाए। आन्तरिक लेखापरीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना है कि लेखांकन अवधि के सम्बन्ध में प्राप्त और खर्च की गई निधियां निर्धारित वित्तीय विनियमों, अधिप्राप्ति क्रियाविधियों और समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हैं और यह कि सभी स्तरों पर समुचित लेखे रखे जाते हैं।

अधिकार क्षेत्र

कार्यक्रम लागत की पूर्ति के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों में से वार्षिक कार्ययोजना और बजट में अनुमोदित विभिन्न क्रियाकलापों पर खर्च किया जाता है। विभिन्न हस्तक्षेपणीय उपायों पर वस्तुतः खर्च की गई राशियों पर आधारित एक व्यय विवरण भारत सरकार को भेजा जाता है। आन्तरिक लेखापरीक्षक को लेखांकन अभिलेखों की जांच करनी होती है, आन्तरिक जांच और नियंत्रण तथा सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार अन्य अपेक्षित आन्तरिक लेखापरीक्षा करनी होती है। लेखापरीक्षा करते समय निम्न की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिएः

(क) आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रियाकलापों में भुगतान लेखापरीक्षा और साथ ही कार्यक्रम के वित्तीय, प्रचालनात्मक और नियंत्रण क्रियाकलापों का स्वतंत्र मूल्यांकन शामिल होना चाहिए।

(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षक के दायित्व में इन बातों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल होना चाहिएः आन्तरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, लेन-देन की शुद्धता और औचित्य, परिसम्पत्तियों का किस सीमा तक हिसाब रखा जाता है और सुरक्षा की जाती है तथा एसएसए वित्तीय मानदण्डों और राज्य सरकार की कार्यविधियों के अनुपालन का स्तर।

(ग) सभी निधियों का प्रयोग किफायत और प्रभाविता की ओर समुचित ध्यान देते हुए और केवल उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वित्त मुहैया कराया गया था, किया गया तथा ऐसा करते समय संगत वित्तीय मानदण्डों और वित्तीय विनियमों का पालन किया गया था।

(घ) एसएसए के अधीन खर्च करने के लिए अधिकृत सभी निकायों द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।

(ड.) जिस माल, निर्माण कार्यों और सेवाओं का वित्तपोषण किया गया है उनकी अधिप्राप्ति इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अधिप्राप्ति क्रियाविधि के संगत प्रावधानों के अनुसार की गई है। क्रय आदेश, निविदा दस्तावेज, बीजक, वाउचर, रसीदें, वेतन चिट्ठे, टीए बिल आदि जैसे समुचित दस्तावेज रखे जाते हैं और लेन-देन के साथ जोड़े जाते हैं तथा कार्यक्रम के अन्त तक रखे जाते हैं।

(च) सभी कार्यक्रम व्यय के सम्बन्ध में, जिसमें व्यय विवरण में उल्लिखित व्यय शामिल है सभी समर्थनकारी दस्तावेज, रिकार्ड और लेखे रखे गए हैं। लेखा बहियों और भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बीच स्पष्ट तालमेल मौजूद है।

(छ) एसएसए के अधीन किया गया व्यय नितान्ततः एसएसए कार्यतंत्र में निर्धारित वित्तीय मानदण्डों अथवा समय-समय पर जारी किन्हीं अन्य स्पष्टीकरणों के अनुरूप है। संगत अवधि के व्यय विवरण में शामिल व्यय विवरण/वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष के अन्त में कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रचालनों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के संसाधनों और व्यय के सम्बन्ध में एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

(ज) खर्चा, पीएबी द्वारा अनुमोदित बजट आकलन के सन्दर्भ में किया जाता है। यदि बजट आबंटन से अधिक खर्च किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित समुचित पुनर्विनियोजन प्राप्त कर लिया गया है।

(झ) एसएसए निधियों का प्रयोग प्रभावी और किफायती रूप में उसी प्रयोजन के लिए किया जाता है जिसके लिए उनकी मंजूरी दी गई थी।

(ञ) बैंक विवरणों और लेखों का समाधान मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षक से इन परिणामों की अपेक्षा की जाएगी

आन्तरिक लेखापरीक्षा पूरी होने के तत्काल बाद लेखापरीक्षक को लेखाओं के सम्बन्ध में अपनी समीक्षा के परिणाम दर्शाने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। वित्तीय लेखाओं, अधिप्राप्ति, बैंक समाधान आदि के सम्बन्ध में जो भी विसंगतियां उसके ध्यान में आई हैं, उन्हें रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

सामान्य

लेखापरीक्षक को सभी कानूनी दस्तोवज, लेखाबहियां, अधिप्राप्ति दस्तावेज, पत्राचार तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित और लेखापरीक्षक द्वारा जरूरी समझी गई अन्य सम्बन्धित जानकारी सुलभ कराई जानी चाहिए।

समीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत आन्तरिक लेखापरीक्षा की एक समीक्षा समिति द्वारा जांच की जाएगी। इस समीक्षा समिति में एसपीडी, एसपीओ में वित्तीय प्रबन्ध समूह के अध्यक्ष तथा एसपीओ के लेखा अधिकारी शामिल होंगे जोकि आन्तरिक लेखापरीक्षा में उल्लिखित विसंगतियों की बाबत आगे की उपचारात्मक कार्रवाई करेगी।

संलग्नक-XIV
(देखें पैरा 99)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्ध जांचों के संकेतक

1. निधि प्रवाह के ब्यौरे

राज्यः

.....को समाप्त छमाहीः

तारीख		राशि			तारीख		राशि			तारीख		राशि		
		एसएसए	एनपीइ-जीईएल	योग			एसएसए	एनपीइजीईएल	योग			एसएसए	एनपीइजीईएल	योग
	अथशेष													
	(क) भारत सरकार से प्राप्त निधियां					जिलों को प्रदान की गई निधियां					जिले से उप जिला स्तर को प्रदान की गई निधियां			
	(ख) राज्य सरकार से प्राप्त निधियां					जिले का नाम					उप-जिला स्तर की श्रेणी			
	(ग) ब्याज					1					1			
	(घ) अन्य					2					2			
						3					3			
						4					4			
						5					5			
						जिलों को प्रदान की गई कुल निधियां					**उप-जिलों को प्रदान की गई कुल निधियां**			
						डीपीओ सहित जिले में इस्तेमाल की गई निधियां					**उप-जिला स्तर पर प्रयुक्त निधियां**			

						डीपीओ सहित जिला स्तर पर अव्ययित निधियां					उप-जिला स्तर पर अव्ययित निधियां			
						एसपीओ स्तर पर प्रदान की गई निधियां								
	कुल प्राप्तियां + अथशेष					**कुल प्रदान की गई निधियां व्यय**					**कुल प्रदान की गई निधियां व्यय**			
						इति शेष					**इतिशेष**			

- व्ययों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भारत सरकार द्वारा राज्य वित्तीय समीक्षा तस्वीर में भी प्रस्तुत की जाएगी।

2. एक लाख रुपये से अधिक के ऐसे अग्रिमों के ब्यौरे जो 12 महीने के अधिक से अव्ययित पड़े हैं

जिला स्तर	एसएसए	एनपीईजीईएल	योग	उप-जिला स्तर	एसएसए	एनपीईजीईएल	योग
डीपीओ स्तर सहित जिला स्तर पर अव्ययित अग्रिम				**उप-जिला स्तर पर अव्ययित अग्रिम**			

3. वित्तीय प्रबंध के लिए स्टाफ की स्थिति

वित्तीय प्रबंध के लिए स्टाफ	राज्य स्तर				जिला स्तर			
	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	खाली पद	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे गए पद	खाली पद

4. वित्तीय प्रबंध स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण की प्रकृति	वर्ष के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण		पूरा किया गया प्रशिक्षण		जारी प्रशिक्षण		प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्रों और अंतर्वस्तु पर टिप्पणियां
	संख्या	स्तर	संख्या	स्तर	संख्या	स्तर	

5. लेखापरीक्षा व्यवस्था

1.	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए ईसी के अनुमोदन की तारीख	प्रतिवर्ष जनवरी और मार्च के बीच
2.	लेखापरीक्षा कम्पनी नियुक्त करने की तारीख	शुरू में प्रतिवर्ष अप्रैल तक
3.	लेखापरीक्षा कार्य में प्रगति	प्रतिवर्ष जून तक
4.	एसपीओ को लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति	प्रतिवर्ष सितम्बर तक वांछनीय
5.	वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखाओं का अनुमोदन	प्रतिवर्ष नवम्बर तक वांछनीय
6.	भारत सरकार को प्रेषित करने की तारीख	प्रतिवर्ष 1 दिसम्बर